माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या :–(0755) 2551166 (PBX no111)

क्रमॉंक/गोपनीय/148/2017 भोपाल, दिनॉंक 18/5/2017

प्रति

समस्त मूल्यांकन अधिकारी
मध्यप्रदेश।

अत्यावश्यक

विषयः–अंक सत्यापन एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु।
संदर्भः–मा.शि.मण्डल का पत्र क्रमांक/गोपनीय/1135/2013, भोपाल दिनांक 17/12/2013 एवं पत्र क्रमांक 132–133, दिनांक 12/05/2017

– –XX– –

मण्डल द्वारा वर्ष 2017 की आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हा.से. व्याव. परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा उपरान्त छात्रों द्वारा अंक सत्यापन हेतु ऑन लाईन के माध्यम से आवेदन किये जा रहे हैं, जो संबंधित मूल्यांकन केन्द्रों पर उनकी एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर जी–2–जी लॉगिन पर उपलब्ध होंगे।

अंक सत्यापन एवं उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति संबंधी प्रकरणों का निराकरण मण्डल से जारी संदर्भित आदेश क्रमांक/132–133/2017 दिनांक 12/05/2017 के संलग्न पूर्व वर्ष का आदेश क्रमांक/गोपनीय/1135/2013, भोपाल दिनांक 17/12/2013 में निर्धारित प्रक्रिया, समयावधि, त्रुटीपूर्ण पुर्नगणना करने पर अधिरोपित दण्ड प्रक्रिया का भलिभांति अध्ययन किया जाकर सत्र की सम्पन्न होने वाली पूरक परीक्षाओं की अवधि 04 जुलाई को ध्यान में रखकर शीघ्रातिशीघ्र पुर्नगणना कार्यवाही पूर्ण की जाना सुनिश्चित की जावे।

स्मरण स्परूप निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावे।

1. पुर्नगणना आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिवस में सभी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जावे।
2. सभी प्रकरणों की उत्तरपुस्तिकाओं का भलिभांति परीक्षण उपरान्त ही Change/No Change की रिपोर्ट एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल पर प्रतिदिन दर्ज की जावे।
3. **प्रकरणों में** Change/No Change **का निर्णय घोषित परिणाम (उत्तरपुस्तिका में अंकित अंक व ऑन लाईन सूची में दर्ज अंकों से) में प्राप्तांक से मिलान उपरान्त ही किया जावे ताकि** Change **प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण** No Change **दर्ज न हो।**
4. किसी भी दशा में पुर्नमूल्यांकन न किया जावे।
5. अमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर हो, अमूल्यांकित भाग का उत्तरपुस्तिका में सूक्ष्म परीक्षण कराया जावे।
6. सभी परिवर्तित प्रकरणों की मूल उत्तरपुतिस्तका पूर्व प्रेषित नोटशीट प्रारूप में पूर्ण प्रविष्टि सह निर्धारित समयावधि में भेजी जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के प्रकरणों में पुर्नगणना का कार्य 10 दिवस में पूर्ण करने के पश्चात आगामी 15 दिवस के भीतर उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति संबंधितों के पते पर भेजी जावे तथा एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल पर उत्तरपुस्तिका प्रेषण का स्पीड–पोस्ट क्रमांक अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित किया जावे।
8. उत्तरपुस्तिका छायाप्रति मांग अनुसार उसी विषय, अनुक्रमांक की भेजी जावे।

परीक्षा नि...
माध्यमिक शिक्षा...
म.प्र.भोपाल

...तर.....2

25-07/17

D:\Table work\So\Letter1.doc

पृ.क्र./गोपनीय/ 149 /2017 भोपाल, दिनांक 18/5/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव–अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल
2. अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
3. समस्त, अपर संचालक लोक शिक्षण, संभागीय मुख्यालय, मध्यप्रदेश।
4. सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, म.प्र. की ओर प्रेषित कर लिखा जाता है कि उक्त बिन्दु क्रमांक 07 अनुसार मूल्यांकन केन्द्र द्वारा एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल पर स्पीड पोस्ट क्रमांक अनिवार्य करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
6. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय मा.शि.म.मध्यप्रदेश।
7. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल